



उच्च न्यायालय इलाहाबाद
लखनऊ

धारा 482 के अंतर्गत आवेदन संख्या - 4278 / 2021

अर्जुन श्रीवास्तव

आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता
प्रतिवादी के अधिवक्ता
सुनीता

: वाशु देव मिश्रा, सौरभ मिश्रा
: शासकीय अधिवक्ता, हिमांशु तिवारी,

द्विवेदी

न्यायालय संख्या - 15

माननीय न्यायमूर्ति बृज राज सिंह

1. यह वर्तमान आवेदन आपराधिक शिकायत वाद संख्या. 4800331/2016, श्रीमती राजकुमारी चौरसिया बनाम अर्जुन श्रीवास्तव एवं अन्य, भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 420, 468, 471 और 506, थाना नाका हिंडोला, जिला लखनऊ की पूरी कार्यवाही तथा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 32, लखनऊ द्वारा दिनांक 07.05.2019 को पारित किए गए सम्मन आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए दाखिल की गई है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

2. शिकायत में उल्लिखित आरोप के मुताबिक, आवेदक ने शिकायतकर्ता को सह-अभियुक्त अशोक कुमार राय से मिलवाया और 50-50% के अनुपात में, उसके निवास संख्या 76/18, गुरुद्वारा रोड, थाना नाका हिंडोला, जिला लखनऊ, कुल क्षेत्रफल 2600 वर्ग फीट के लिए एक बिल्डर करारनामा किया गया। इसके बाद, दिनांक 20.02.2009 को एक बिक्री-करार भी कुल भूमि के आधे हिस्से यानी 1300 वर्ग फीट (120.82 वर्ग मीटर) के लिए की गयी। शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि उसके बाद सह-अभियुक्त अशोक कुमार राय ने दिनांक 22.12.2009 को 50% भूमि के लिए तथा शिकायतकर्ता के बेटे विवेक कुमार चौरसिया के लिए 50% भूमि के लिए नया बिल्डर करारनामा किया। आगे कहा गया है कि शिकायतकर्ता ने थाना नाका हिंडोला, लखनऊ में प्राथमिकी दर्ज कराई, जो वाद अपराध संख्या 430/2012 में भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 420, 467, 468, 471, 445 और 406 के अंतर्गत पंजीकृत हुआ, जिसमें अन्वेषण के बाद पुलिस ने अंतिम आख्या (फाइनल रिपोर्ट) प्रस्तुत की। अंतिम आख्या के विरुद्ध, विपक्षी संख्या 2 ने विरोध याचिका (प्रोटेस्ट पिटीशन) दाखिल की, जो विविध वाद संख्या 63/2014 में पंजीकृत हुई, लेकिन दिनांक 06.12.2014 को लोक अदालत में मुकदमा न चलाने के कारण इसे खारिज कर दिया गया।
3. शिकायतकर्ता का बयान दिनांक 03.02.2017 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के अंतर्गत दर्ज किया गया, जिसमें उसने यह भी कहा है कि पहले उसने थाना नाका हिंडोला, जिला लखनऊ में वाद अपराध संख्या 430/2012 में भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 420, 467, 468, 471, 445 और 406 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें अन्वेषण के बाद पुलिस ने अंतिम आख्या (फाइनल रिपोर्ट) दाखिल कर दी थी, जिसके विरुद्ध उसने विरोध आवेदन दिया था, जिसे मुकदमा न चलाने के कारण खारिज कर दिया गया है। विवेक कुमार चौरसिया का बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के अंतर्गत दर्ज किया गया और उसने शिकायत में लगाए गए आरोपों को दोहराया

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

है। लेकिन, अपने बयान में उन्होंने कहा है कि अर्जुन श्रीवास्तव (आवेदक) दिनांक 20.02.2009 के बिक्री-करार के सीमांत साक्षी हैं।

4. आक्षेपित सम्मन आदेश से यह पता चलता है कि सम्मन आदेश पारित करने से पहले, विद्वान मजिस्ट्रेट ने लखनऊ विकास प्राधिकरण से उस भूमि का नक्शा एवं वास्तुविद् विवेक कुमार सक्सेना, जिन्होंने नक्शा बनाया था, उनसे भी भूमि का नक्शा तलब किया था, हालांकि दिनांक 05.03.2019 को 05.03.2019 के शपथ पत्र के समर्थन में दिनांक 21.02.2019 की नोटिस को रद्द करने के लिए एक आवेदन दाखिल करके, विवेक कुमार सक्सेना ने कहा है कि उन्होंने वह नक्शा नहीं बनाया है तथा उन्होंने उस नक्शे पर अपने हस्ताक्षर से भी इनकार किया है, लेकिन मजिस्ट्रेट ने उनके शपथ पत्र को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के अंतर्गत साक्ष्य के तौर पर गलत तरीके से टिप्पण कर लिया है।
5. सह-अभियुक्त अशोक कुमार राय, यानी उस भूमि के क्रेता ने, पंजीकृत करारनामा के विशिष्ट निष्पादन के लिए दिनांक 20.02.2009 के नियमित वाद संख्या 376/2011 (नयी संख्या 122/2016), अशोक कुमार राय बनाम श्रीमती राजकुमारी चौरसिया तथा स्थायी निषेधाज्ञा के लिए नियमित वाद संख्या 86/2012 (नयी संख्या 18/2015), अशोक कुमार राय बनाम राजकुमारी चौरसिया दाखिल की। दोनों मामलों को एक साथ मिलाकर न्यायाधीश, लघु वाद न्यायालय, लखनऊ के समक्ष विचारित (ट्रायल) किया गया तथा दिनांक 28.03.2017 के निर्णय एवं आदेश के माध्यम से दोनों वाद सह-अभियुक्त अशोक कुमार राय के पक्ष में डिक्री किए गए। विपक्षी संख्या 2 ने दिनांक 28.03.2017 के इस निर्णय एवं आदेश को ज़िला न्यायाधीश, लखनऊ के समक्ष नियमित दीवानी अपील संख्या 55/2017, श्रीमती राजकुमारी चौरसिया बनाम अशोक कुमार राय तथा इस न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील संख्या 115/2017, राजकुमारी चौरसिया एवं अन्य बनाम अशोक कुमार राय, दाखिल करके चुनौती दी है। कहा गया है कि नियमित वाद संख्या 55/20217,

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

राजकुमारी चौरसिया बनाम अशोक कुमार राय को अपीलीय न्यायालय ने दिनांक 28.02.2023 के आदेश से खारिज कर दिया है। हालांकि, इस न्यायालय के समक्ष दाखिल की गई प्रथम अपील संख्या 115/2017, राजकुमारी चौरसिया एवं अन्य बनाम अशोक कुमार राय, लंबित है।

6. आवेदक के अधिवक्ता ने बताया कि अपील में दिनांक 28.02.2023 का आदेश पारित करने के बाद, निष्पादन कार्यवाही में, न्यायालय ने विक्रय-विलेख के निष्पादन के लिए आदेश पारित किया तथा विक्रय विलेख को श्री प्रवीण कुमार त्यागी, पीसीएस (न्यायिक) ने दिनांक 31.07.2025 के आदेश से निष्पादित किया है। न्यायालय ने अपने दिनांक 05.08.2025 के आदेश में इस बात की टिप्पणी की है कि विक्रय-विलेख दिनांक 31.07.2025 को निष्पादित की गई है। विचारण न्यायालय का दिनांक 05.08.2025 का आदेश, अभिलेख (रिकॉर्ड) में लिया गया है।
7. आवेदक के अधिवक्ता ने आगे कहा कि आवेदक एक सीमांत साक्षी है तथा उसने कोई धोखाधड़ी नहीं की है, बल्कि विवाद वाली संपत्ति विक्रय-विलेख के माध्यम से निष्पादित की गई है और सह-अभियुक्त अशोक कुमार राय ने विपक्षी संख्या 2 को 10,00,000/- रूपए का विक्रय प्रतिफल भी दिया था। उन्होंने यह भी कहा कि एक बार जब न्यायालय के आदेश से अशोक कुमार राय के पक्ष में विक्रय-विलेख निष्पादित हो गई है, तो यह नहीं माना जा सकता कि आवेदक ने कोई धोखाधड़ी की है। अगर नक्शा तैयार करने में जालसाजी का कोई आरोप भी है, तो सक्षम प्राधिकारी अर्थात् विहित प्राधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा पूरी सावधानी बरती जाएगी। इसलिए, उन्होंने कहा कि आवेदक के विरुद्ध कार्रवाई विधि की प्रक्रिया का सरासर गलत प्रयोग है।
8. दूसरी तरफ, विपक्षी संख्या 2 के अधिवक्ता ने कहा है कि श्रीमती राजकुमारी चौरसिया ने भी इस न्यायालय में प्रथम अपील संख्या 115/2017 दाखिल की थी, जो लंबित है। उन्होंने आगे कहा है कि विचारण न्यायालय ने कूटरचित

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

नक्शे के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के अंतर्गत यथोचित जांच करने तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण के जिम्मेदार अधिकारियों और न्यायालय में संबंधित वास्तुविद् को बुलाने के बाद, सम्मन आदेश पारित किया है तथा आवेदक के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की है। इसलिए, यह न्यायालय कार्रवाई को रद्द नहीं कर सकता। आगे यह भी कहा गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 एवं 202 के अंतर्गत दर्ज बयानों को देखने से ही पता चलता है कि आवेदक के विरुद्ध प्रथम दृष्टया में मामला बनता है और इसीलिए आवेदक के विरुद्ध सम्मन जारी किया गया है। अतः इसमें कोई अवैधता या दुर्बलता नहीं है।

9. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख (रिकॉर्ड) का अवलोकन किया।
10. अभिलेख (रिकॉर्ड) का अवलोकन करने के बाद, इस न्यायालय ने पाया कि विवादित भूमि के मामले पर दीवानी न्यायालय के साथ-साथ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी निर्णय सुनाया है और यह पाया गया है कि सह-अभियुक्त अशोक कुमार राय उस भूमि के हकदार हैं, इसीलिए न्यायालय ने उनके पक्ष में विक्रय-विलेख को निष्पादित करने का आदेश दिया। विक्रय-विलेख को न्यायालय द्वारा निष्पादन की कार्यवाही में निष्पादित किया गया था तथा यह माना जाता है कि अशोक कुमार राय ही उस भूमि के मूल स्वामी हैं एवं उन्हीं का उस पर अधिकार है।
11. यह न्यायालय इस तथ्य को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता कि विपक्षी संख्या 2 दीवानी न्यायालय में अपना वाद हार गई है और वह दीवानी न्यायालय में अपना हक सिद्ध नहीं कर पाई है तथा न्यायालय के आदेश से भूमि सह-अभियुक्त अशोक कुमार राय के पक्ष में विक्रय-विलेख के माध्यम से निष्पादित कर दी गई है। क्योंकि आवेदक एक सीमांत साक्षी है तथा उसका उस भूमि से कोई लेना-देना नहीं है, साथ ही यह भी कि उस भूमि को सह-अभियुक्त अशोक कुमार राय के पक्ष में न्यायालय के आदेश से विक्रय-विलेख के माध्यम से

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

निष्पादित कर दिया गया है, इसलिए आवेदक के विरुद्ध मौजूदा कार्रवाई जारी रखना विधि की प्रक्रिया का गलत प्रयोग है तथा इसे रद्द किया जाना चाहिए।

12. तदनुसार आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है और आपराधिक शिकायत वाद संख्या 4800331/2016, श्रीमती राजकुमारी चौरसिया बनाम अर्जुन श्रीवास्तव एवं अन्य, भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 420, 468, 471 और 506 के अंतर्गत, थाना नाका हिंडोला, ज़िला लखनऊ की सम्पूर्ण कार्रवाई एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 32, लखनऊ द्वारा दिनांक 07.05.2019 को पारित किया गया सम्मन आदेश, आवेदक के लिए रद्द किया जाता है।

(न्यायमूर्ति बृज राज सिंह)

23 मार्च, 2026

राव

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।